



न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- 101-33 / 20.19

धारा-107 द०प्र०सं०

सारखण्ड सरकार बनाम सनतन स्वाँसी वर्गेर

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम 33 / 20.19 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रमारी <u>तमाड</u> के अप्राथमिकी सं०- <u>12/19</u> दिनांक- <u>02/4/19</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि दिनांक - <u>06/05/19</u> को लोकसभा चुनाव के अवसर पर शांति भंग होने की संभावना है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरारो/उनरो प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उररी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>15/05/19</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	


आदेश की क्रम सं० एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग
कार्रवाई एवं टिप्पण
तारीख सहित


16-05-19

आपिलेशन उपस्थापित 1 दिवस पत्र
उपस्थित दिनांक 25-05-19 को
रखें।


16/05/19

25-05-19

आपिलेशन उपस्थापित 1 दिवस पत्र
अधिवक्ता दायरी 1 लोक श्रमा इगत
2019 शक्ति एवं श्रम से सम्बन्धित श्रम
दो श्रम, वाद में आपिलेशन की कार्रवाई
बन्द की जाती है।


25/05/19